न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

सुलेमान पुत्र श्री नूर मोहम्मद, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स मोयल डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचे, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, स्थाई पताः बडी गली घोसी मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No. 58/2025

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, प्रतिवादी सुलेमान की ओर से

–: **निर्णय** :– दिनांक 30 जनवरी, 2026

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 09–3–2025 को मैसर्स मोयल डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचें, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सुलेमान पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी–बडी गली घोंसी मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (लुज) का नमूना संख्या S-2601, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, पूणे के विश्लेषण प्रमाण पत्र क्रमांकःRFL/P/DO-345/25/392 दिनांक 10–7–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सुलेमान की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी सुलेमान की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 30–01–2026 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी से खाद्य पदार्थ घी का नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुसार नही की है और स्वतंत्र गवाह के अभाव में केवल मात्र कागजी कार्यवाही पूर्ण की गई है। घी के नमूने की बोतलों के ढ़क्कन को मौके पर एयरटाईट बन्द नही किया है व घी के नमूनें को टेम्परविथ कर जांच हेतु भेजा गया है। प्रतिवादी सुलेनाम उक्त घी का निर्माता नही की है। प्रतिवादी की छोटी से दुकान है, जिसमें बाहर से खाद्य सामग्री खरीद कर बेचता है। प्रतिवादी ने कोई मिलावट नही की है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 09–3–2025 को 02–30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०)

मोयल डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचे, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से सुलेमान पुत्र नूर मोहम्मद उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मोयल डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचे, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स मोयल डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचे, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही की दुकान के अन्दर एक स्टील की टंकी में लगभग 12 किलोग्राम खाद्य पदार्थ घी (लुज), आमजन को बिक्री हेतु रखा हुए पाया, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता सुलेमान पुत्र नूर मोहम्मद को गवाह श्री प्रवीण पुत्र भूताराम, एस.पी.बंगले के पीछे, झूपाघाट, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स मोयल डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचे, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही की दुकान के अन्दर एक स्टील की टंकी में आमजन को बिक्री हेतु रखे हुये लगभग 12 किलोग्राम खाद्य पदार्थ घी (लुज) में से 800 ग्राम खाद्य पदार्थ घी (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/– (रुपये चार सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता सुलेमान पुत्र नूर मोहम्मद को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (लुज) को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों नमूना बोतलों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2601, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (लुज) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी सुलेमान पुत्र नूर मोहम्मद व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (लुज) के चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा घी (लुज) की चारों नमूना बोतलों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता सुलेमान पुत्र नूर मोहम्मद तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता सुलेमान पुत्र नूर मोहम्मद व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 10–3–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री बाबुलाल मीणा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

......पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

सिरोही) को दिनांक 09–3–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मोयल डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचें, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सुलेमान पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी– बडी गली घोसी मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही से खाद्य पदार्थ घी (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (लुज) के नमूना संख्या S-2601 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः दिनांक 19–3–2025 में खाद्य पदार्थ घी (लुज) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी सुलेमान द्वारा खाद्य पदार्थ घी (लुज) के नमूना संख्या S-2601 के दूसरे भाग की रेफरल लेब से जांच करने हेतु अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) द्वारा खाद्य पदार्थ घी (लुज) के नमूना संख्या S-2601 के द्वितीय भाग को जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, पूणे को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, पूणे से उक्त खाद्य पदार्थ घी (लुज) के नमूना संख्या S-2601 की प्राप्त विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बर RFL/P/DO-345/25/392 दिनांक 10–07–2025 में खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-2601, अमानक (sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुलेमान पुत्र नूर मोहम्मद, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स मोयल डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचें, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (लुज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (लुज) (नमूना संख्या S-2601) के विक्रय हेतु प्रतिवादी सुलेमान पुत्र नूर मोहम्मद, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स मोयल डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचें, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, स्थाई पताः– बडी गली, घोसी मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी सुलेमान पुत्र नूर मोहम्मद, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स मोयल डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचें, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 30 जनवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)